

संख्या- 51 /2023/ 2916 /003-9-7002-099-3-2021

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 18 दिसंबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त के विषयगत अवगत कराना है कि कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-33/नौ-7-2022-9-7002(099)/3/2021, दिनांक 03.01.2022, शासनादेश संख्या-633/नौ-8-2019-08केपीए(बजट)/2018 टीसी, दिनांक 21.02.2019, शासनादेश संख्या-2600/9-8-2019-21 ज/ 2016, दिनांक 20.09.2019 शासनादेश संख्या- 1797/नौ-7-2021-9-7002(099)/3/2021, दिनांक 23.12.2021 शासनादेश संख्या-18/2023/594/026-46जी-2022, दिनांक 30.03.2023, शासनादेश संख्या-2432/नौ-8-2019-02केपीए(बजट)/2019, दिनांक 11.10.2019 एवं शासनादेश संख्या- 9-7002(099)/3/2021-7 दिनांक 06.12.2021 द्वारा विभिन्न नगर निकायों को गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में नगर पंचायत खुदागंज, शाहजहाँपुर नगर पंचायत अन्तू जनपद प्रतापगढ़, नगर पंचायत, तम्बौर अहमदाबाद जनपद सीतापुर, नगर पंचायत कादीपुर जनपद सुल्तानपुर एवं नगर पंचायत, महोना जनपद लखनऊ में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु उपर्युक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तें / प्रतिबन्धों के अधीन नगर निकाय को उनके नाम के सम्मुख अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि कुल ₹ 483.371 लाख (रुचार करोड़ तिरासी सैंतीस हजार एक सौ मात्र) चालू कार्यों हेतु अवमुक्त किये जाने की मा. राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	निकाय का नाम/जनपद	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्राविधानित धनराशि	प्रथम किशत की धनराशि	द्वितीय/ अन्तिम किशत की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत खुदागंज, शाहजहाँपुर	33/नौ-7-2022-9-7002(099)/3/2021, दिनांक 03.01.2022	162.35	30.00	132.35
2	नगर पंचायत अन्तू जनपद प्रतापगढ़	633/नौ-8-2019-08केपीए(बजट)/2018 टीसी, दिनांक 21.02.2019	164.00	03.00	81.73

		2600/9-8-2019-21 ज/ 2016, दिनांक 20.09.2019		79.27	
3	नगर पंचायत, तम्बौर अहमदाबाद जनपद सीतापुर	1797/नौ-7-2021-9- 7002(099)/3/2021, दिनांक 23.12.2021	165.89	16.589	49.301
		18/2023/594/026-46जी- 2022, दिनांक 30.03.2023		100.00	
4	नगर पंचायत कादीपुर जनपद सुल्तानपुर	2432/नौ-8-2019- 02केपीए(बजट)/2019, दिनांक 11.10.2019	163.00	81.00	82.00
5	नगर पंचायत, महोना जनपद लखनऊ	9-7002(099)/3/2021-7 दिनांक 06.12.2021	165.89	27.90	137.99
कुल			821.13	337.759	483.371

(रुचाय करोड़ तिरासी सैंतीस हजार एक सौ मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेंट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।

(2) यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त निकायों को अवमुक्त की जा रही द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2024 तक के लिये निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप मंत उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक नगरीय निकाय/शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) संबंधित नागर निकाय को कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-33/नौ-7-2022-9-7002(099)/3/2021, दिनांक 03.01.2022, शासनादेश संख्या-633/नौ-8-2019-08केपीए(बजट)/2018 टीसी, दिनांक 21.02.2019, शासनादेश संख्या- 2600/9-8-2019-21 ज/ 2016, दिनांक 20.09.2019 शासनादेश संख्या- 1797/नौ-7-2021-9-7002(099)/3/2021, दिनांक 23.12.2021 शासनादेश संख्या-18/2023/594/026-46जी-2022, दिनांक 30.03.2023, शासनादेश संख्या-2432/नौ-8-2019-02केपीए(बजट)/2019, दिनांक 11.10.2019 एवं शासनादेश संख्या- 9-7002(099)/3/2021-7 दिनांक 06.12.2021 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,83,37,100 (रुपये चार करोड़ तिरासी लाख सैंतीस हजार एक सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2070008000700 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally Signed by कल्याण बनर्जी

Date: 18-12-2023 19:13:18
(कल्याण बनर्जी)
Reason: Approved
संयुक्त सचिव।

I/451467/2023

संख्या- 51 /2023/ 2916(1) /003-9-7002-099-3-2021, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ०प्र०।
5. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत उ०प्र०।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ०प्र०, प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से
Digitally Signed by कल्याण
बनर्जी
Date: 18-12-2023 19:12:29
Reason: Approved
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।